न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 25 / 2017 / जैसलमेर

अपीलांट

राजस्थान सराकर जरिये
श्रीमान तहसीलदार फतेहगढ़।
जिला जैसलमेर

रेस्पोडेंटगण

बनाम 1.श्रीमती अन्तरकंवर पत्नी स्व. इन्द्रसिंह
2.काछबसिंह पुत्र इन्द्रसिंह
3.नरपतसिंह पुत्र इन्द्रसिंह
4.खुमानसिंह पुत्र सोहनसिंह
5.सगतसिंह पुत्र सोहनसिंह
6.चन्दनसिंह पुत्र सोहनसिंह
7.गेमरसिंह पुत्र सोहनसिंह
जातियान राजपूत निवासीयान देवड़ा
तहसील फतेहगढ़ जिला जैसलमेर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर फतेहगढ के राजस्व वाद संख्या 69 / 2014 बनवान इन्द्रसिंह कायम मुकाम अन्तरकंवर वगै. बनाम राज्य सरकार में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.06.2016 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थित

1. वकील श्री हाजी खां राजकीय अभिभाषक अपीलान्ट की ओर से
2. वकील श्री केसरसिंह भाटी रेस्पोडेण्ट की ओर से

निर्णय

दिनांकः– 18.07.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेंट का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 89, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अपीलाधीन निर्णय द्वारा रेस्पोडेंट के हक में ग्राम बींजोता के वर्तमान खसरा संख्या 555 रकबा 211 बीघा व खसरा संख्या 566 रकबा 97 बीघा कुल रकबा 308 बीघा भूमि का रेस्पोडेंट को खातेदार घोषित कर इस आशय की घोषणात्मक अज्ञाप्ति जारी की गई है। जबकि यह भूमि सरकारी है। जो सेटलमेंट में भी सरकारी दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय ने डिक्री जारी करने में कानूनी भूल की है। सेटलमेंट विभाग द्वारा मौके पर जरीब चलाकर कब्जा काश्त के आधार पर सर्वे करते हुए अभिलेख को अंतिम रूप दिया है। इससे पहले आपतियां प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया गया किन्तु सेटलमेंट विभाग के समक्ष रेस्पोडेंट द्वारा कोई आपति पेश नही की

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त बताई गई भूमि सरकारी भूमि है एवं भू–प्रबंध विभाग में उक्त भूमि सरकारी दर्ज है जिसमें रेस्पोडेंट का कोई कब्जा नहीं है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन निर्णय डिक्री दिनांक 28.06.2016 को अपास्त किया जावे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताया कि समरी अंदाजिया थी। मौके पर जितनी भूमि पर रेस्पोडेंट का कब्जा था उतनी भूमि की खातेदारी रेस्पोडेंट को दी गई तथा शेष भूमि को सरकारी भूमि दर्ज कर दिया गया। सेटलमेंट विभाग द्वारा सर्वे करने के पश्चात अभिलेख को अंतिम रूप दिया गया। अभिलेख को अंतिम रूप देने से पूर्व आपतियां प्रस्तुत करने का पर्याप्त समय दिया गया किन्तु रेस्पोडेंट द्वारा कोई आपति प्रस्तुत नही की गई। इसलिए अब रेस्पोडेंट का इस भूमि पर कोई अधिकार नही है। भू–प्रबंध विभाग द्वारा जारी प्रक्रिया विधि के अनुरूप अपनाने के पश्चात भूमि को सरकारी घोषित किया है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेंट/वादीगण अतिक्रमी है एवं अतिक्रमी को राजकीय भूमि पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। समरी खसरा संख्या से वर्तमान खसरा संख्या बने हो ऐसा भी प्रमाणित नहीं है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि स्थाई बंदोबस्त होने पर सेटलमेंट अधिकारियों ने रेस्पोडेंट के नाम समरी खसरा संख्या 64 खेत का नाम पचपदरा वाली नौण से बने वर्तमान खसरा संख्या 555 रकबा 211 बीघा व खसरा संख्या 556 रकबा 97 बीघा किस्म बारानी कुल रकबा 308 बीघा को राजकीय सिवायचक दर्ज कर दिया, जबकि अपीलाधीन आराजी पर वक्त सेटलमेंट से आज दिन तक रेस्पोडेंट/वादीगण का कब्जा काश्त है। जिसका लगान रेस्पोडेंट/वादीगण के वारिसान द्वारा भुगतान किया गया है। अमीनों द्वारा जानबुझकर बेईमानी से बिना किसी आधार के कमी की गई। अपीलाधीन आराजी पर वादीगण/रेस्पोडेंट की वक्त समरी स्थायी बंदोबस्त से लगातार कब्जा काश्त होने से वादी/रेस्पोडेंट के पूर्वजों की खातेदारी दर्ज थी। भू–प्रबंध कर्मचारियों द्वारा खातेदारी में दर्ज नहीं कर राजकीय सिवायचक दर्ज कर दिया ऐसा करने का सेटलमेंट अधिकारियों को, खातेदार को सुनवाई का अवसर दिये बिना, राजकीय भूमि घोषित करने का अधिकार नहीं था। अपीलाधीन आराजी बिना किसी आधार के सरकारी भूमि दर्ज कर दी गई जिसका भू–प्रबंध विभाग को कोई अधिकार नहीं था।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

अमीनों को केवल मात्र दर्ज इन्द्राजो को दौहराने का अधिकार था। सक्षम अधिकारी के आदेश के बिना उसमें कांट–छांट या कमी करने का अधिकार नही था। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जावे।

सर्वप्रथम धारा 5 म्याद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। राजकीय अधिवक्ता ने बताया कि निर्णय की जानकारी देरी से होने व निर्णय डिक्री अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त कर इसका परीक्षण करवाने व जिला कलक्टर जैसलमेर से अपील के निर्देश प्राप्त करने में समय लगने एवं प्रार्थी का अन्य प्रशासनिक कार्यों में वयस्त होने से अपील दायर करने में हुई देरी को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट की अपील मियाद बाहर पेश है एवं अपील पेश करने में हुए विलंब का कोई संतोषजनक कारण भी नहीं बताया। अतः अपीलांट की अपील मियाद के बिंदु पर खारिज फरमाई जावे।

अपीलांट के कथनों पर विश्वास एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड के अवलोकन के पश्चात अपील अन्दर मियाद शुमार कर निर्णय गुणावगुण पर करना ज्यादा न्यायोचित है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया व उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात न्यायालय ने पाया है कि ग्राम **बींजोता** सेटलमेंट विभाग का खसरा संवत 2021(EXP-10) मुताबिक खसरा संख्या 555 रकबा 211.00 बीघा व खसरा संख्या 556 रकबा 97.00 बीघा विलानाम काबिल काश्त दर्ज है जिसमें विशेष विवरण कॉलम संख्या 16 में **"इन्द्रसिंह, खुमाणसिंह, सगतसिंह, चन्दसिंह, गेमरसिंह पिता सोनसिंह कोम राजपूत साकिन देवड़ा ट्रेसपासर "अंकित है"**। इस प्रविष्टि में वादीगण के वादपत्र में अंकित कथनानुसार समरी का खसरा संख्या 64 रकबा 146.10 बीघा का कोई अंकन नहीं मिलता है। सेटलमेंट अभिलेख में वादीगण ट्रेसपासर रूप में अंकित है न कि खुदकाश्त" इसलिए वादीगण के वाद–पत्र में किये कथन सत्य नहीं है। **वादीगण के वादपत्र अनुसार समरी में दर्ज भूमि रकबा 146.10 बीघा से अधिक रकबे पर खातेदारी अधिकार पाने के किसी भी सूरत में हकदार नहीं ठहरते। वादग्रस्त भूमि पर सभी वादीगणों का अनवरत कब्जा काश्त प्रमाणित नहीं है।** यदा कदा किसी एक दो वादीगण का नाम मात्र के रकबे पर कब्जा काश्त रहा है। खसरा परिवर्तनशील संवत 2064 ग्राम बीजोता

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

(EXP-5) अनुसार खसरा संख्या 555 में 6 बीघा रकबा पर वादी चनणसिंह का कब्जा रहा है। इसी तरह खसरा परिवर्तनशील संवत 2052 (EXP-6) ग्राम बींजातो के खसरा संख्या 555 व 556 में वादी चनणसिंह का 12 बीघा पर कब्जा काश्त रहा जो खसरा परिवर्तनशील संवत 2053 (EXP-7) में केवल खसरा संख्या 555 के 13 बीघा पर कब्जा काश्त रहा। खसरा परिवर्तनशील संवत 2065 (EXP-8) में खसरा संख्या 555 में वादी चंदणसिंह का 12 बीघा भूमि पर कब्जा काश्त रहा। खसरा परिवर्तनशील संवत 2057 में वादी चनणसिंह का खसरा संख्या 555 में रकबा 06 बीघा पर कब्जा काश्त रहा। दावा किसी भी दृष्टि से सद्भाविक नहीं है। दावा प्रस्तुति दिनांक 15.07.2014 से लगभग 04 माह पश्चात दिनांक 26.11.2014 को दर्ज रजिस्टर हुआ जो संदेहजनक है। **वादीगण के कथनानुसार वे रियासत काल के ग्राम बींजोता के जागीरदार थे इसलिए उनके द्वारा खातेदारी में धारित भूमि के संपूर्ण विवचरण के अभाव में धारण योग्य सीलिंग सीमा तक की भूमि का आंकलन/निर्धारण भी नहीं हो सकता।** वादीगण/रेस्पोडेंट वादग्रस्त संपूर्ण राजकीय भूमि पर निरतंर काबिज काश्त नहीं रहने से वे इस पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने के अधिकारी नहीं ठहरते है। दावा खारिज योग्य है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील स्वीकार करने योग्य ठहरती है।

अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर फतेहगढ के राजस्व वाद संख्या 69/2014 बनवान इन्द्रसिंह कायम मुकाम अन्तरकंवर वगै. बनाम राज्य सरकार में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.06.2016 को अपास्त किया जाता है।

18/7/19

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर केम्प जैसलमेर

निर्णय आज दिनांक 18.07.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

18/7/19

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर केम्प जैसलमेर

Scanned by CamScanner